


कृपया साइलेंसर लगावाएं



सेंट्रल मोटर वाहन नियमों तथा
मोटर वाहन एक्ट के प्रावधानों के तहत वाहन
की आवाज़ बढ़ाने के लिए उसे बिना साइलेंसर
के या साइलेंसर में बदलाव कर चलाना
एक दंडनीय अपराध है।

हमसे मिलें

facebook

Delhi Traffic Police पर



दिल्ली पुलिस

नागरिक सर्वप्रथम

www.delhipolice.nic.in E-mail: delpol@vsnl.com

पुलिस आयुक्त, दिल्ली को ई-मेल करें: bk.gupta@nic.in

हमसे मिलें

twitter

Delhi Traffic Police पर